टी0ए0 मिस केस सं0 12/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
04/05/19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विक्रेता **चन्द्रेश कुमार सांवैयॉं, पिता– स्व0 लादुरा सावैयॉं, ग्राम– गितिलपी, थाना– मुफ्फसिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– गितिलपी, थाना न0 – 580, खाता न0– 85, प्लॉट न0– 940, रकवा 0.012½ एकड़** भूमि क्रेता **सुश्री शिमला बानरा, पिता– श्री आसुऊ बानरा ग्राम– होरलोर, थाना– मुफ्फसिल** चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत क्रेता इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की मॉंग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम से खतियान में दर्ज है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 289, दिनांक 18.02/2019 के द्वारा कुर्सीनामा तथा विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान मरम्मति एवं अन्य घरेलू कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **सुश्री शिमला बानरा, पिता– श्री आसुऊ बानरा** ग्राम– **होरलोर,** थाना– **मुफ्फसिल** चाईबासा के पास 5,56,250/–**(पाच लाख छप्पन हजार दो सौ पचास) रुपये** में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा के द्वारा लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदित प्लॉट में शेष भूमि **350** एकड़ से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **चन्द्रेश कुमार सावैयॉं, पिता– स्व0 लादुरा सावैयॉं,** ग्राम– **गितिलपी, केता सुश्री शिमला बानरा, पिता– श्री आसुऊ बानरा** ग्राम– **होरलोर,** थाना **मुफ्फसिल** के पास जमीन को कुल **5,56,250/–(पाच लाख छप्पन हजार दो सौ पचास) रुपये** में मौजा– **गितिलपी, थाना न0– 580,** खाता न0– **85,** प्लॉट न0– **940,** रकवा– **0.012½ एकड** जमीन बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....स्वीकृति.... दी जाती है। लेखापित (हस्ताक्षर) 4/5 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। (हस्ताक्षर) 4/5/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner